

**अनुदान**

**अनुदानावित्तियोग**

वृहत् शीर्षक.....

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।		शीर्षक जिससे वित्तियोग प्रस्तावित है।																					
1	नौदान की प्राथमिक इकाईयाँ।	2	मूल अनुदान (स्वीकृत वकत प्राप्तावत)।	3	वर्तमान अनुदान।	4	गैरकान्तिक प्राप्तावत (क) अनुसार वर्ष के अनुदान संचयित वर्ष।	5	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	6	कुल अनुदान की जाति का बाव रहेगा।	7	वित्तियोग की प्राथमिक इकाईयाँ।	8	मूल अनुदान (स्वीकृत वकत प्राप्तावत)।	9	वर्तमान अनुदान।	10	गैरकान्तिक लिए गए प्राप्तावत के अनुसार संचयित वर्ष के अनुदान संचयित वर्ष।	11	प्रस्तावित राशि।	12	कुल अनुदान की जाति का बाव रहेगा।
		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०		₹०	

टिप्पणी—(क) स्तम्भ 1 और 7 में ए से लघु और उप-शीर्षक दिखाये जाय, जिनसे इकाई संबधित हो।  
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सखम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सखम प्राधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्वित्तियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 से आंकड़े पीठ पर स्पष्ट किए जाय।  
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।  
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।  
 (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्वित्तियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पुरा-पुरा विवरण पीठ पर दिया जाय।

**अनुदान**

**अनुदानाविवरण**

वृहत् शीर्षक.....

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान उपेक्षित है।		शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।																					
1	नौदान की प्राथमिक शर्तियाँ।	2	मूल अनुदान (श्रीकृत वकत प्राप्ति)।	3	वर्तमान अनुदान।	4	सोकार्थिक प्राप्ति के अनुसार वर्ष के अनुदान।	5	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	6	कुल अनुदान की शर्तियाँ।	7	विनियोग की प्राथमिक शर्तियाँ।	8	मूल अनुदान (श्रीकृत वकत प्राप्ति)।	9	वर्तमान अनुदान।	10	सोकार्थिक प्राप्ति के अनुसार वर्ष के अनुदान।	11	प्रस्तावित राशि।	12	कुल अनुदान की शर्तियाँ।
		₹०		₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०		

टिप्पणी—(क) स्तम्भ 1 और 7 में ए से लघु और उप-शीर्षक दिखाये जाय, जिन्हें इकाई संबद्धित हो।  
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सखम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सखम प्राधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 से आंकड़े पीठ पर स्पष्ट किए जाय।  
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।  
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।  
 (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पुरा-पूरा विवरण पीठ पर दिया जाय।

अतिरिक्त/अनुदान  
के लिए आवेदन-पत्र।  
पुनर्विनियोग

जाप सं० .....

दिनांक ..... 200 ।

के प्रसंग में

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को स्तपस्थापित ।

अतिरिक्त/अनुदान  
2 .....की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।  
प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन

.....पदाधिकारी का पदनाम  
नियंत्रण

अतिरिक्त/अनुदान

.....की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो।  
पुनर्विनियोग

स्तम्भ 8 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण ।